राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 05 DEC 2025

सं. एफ. 2(8)वित/कर/2021-118:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(8)वित/कर/2021-118 दिनांक 13.11.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : नवम्बर 13, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(42)वित्त/कर/2009-100 दिनांक 14.10.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 31.03.2030 तक निष्पादित की जाने वाली ऋण की निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा:-

1. राजस्थान सरकार की किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसाइटी या राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा या के अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास द्वारा लोक सेवा के प्रयोजन के लिए या राज्यहित में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ नये ऋणों के साथ-साथ विद्यमान ऋणों के नवीनीकरण के लिए निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखतें; और

2. राजस्थान सरकार की किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसाइटी या राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास के पक्ष में राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित ऋण की लिखतें।

पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(सं. एफ. 2(8)वित्त/कर/2021-118)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. जनरल मैनेजर, राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, राजस्थान स्टेट टैक्सटबुक बोर्ड, 2-2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव